भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1568

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

चाइनीज फर्मों को सुरक्षा स्वीकृति

†1568 श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में चाइनीज फर्मों के निवेश हेतु सुरक्षा स्वीकृति की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री परिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): विदेशी फर्मों सहित अन्य फर्मों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा संबंधी स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें राष्ट्र-विशेष चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। गृह मंत्रालय के पास सुरक्षा संबंधी स्वीकृति के लिए विशिष्ट रूप से चीन के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं है।